आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा लुणसरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 348,375 को यथावत व शेष मुतदाविया खेताय 376 की भूमि का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 376 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 24.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 29.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 872 दिनांक 18.2.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी देवेन्द्रराम, जगुराम, रामकिशोर, बिरमाराम, शिवदेवराम, गुलाबी, पतासी, हिरालाल, हरीराम, साबू देवी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का लूणसरा एवं भू.अभि.निरीक्षक लुणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3/2 भंवरी पुत्री लालुराम के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 3/2 भंवरी पुत्री लालुराम का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा लुणसरा तहसील जायल में खेत खसरा नं.348 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 375 रकबा 1.5864 हैक्टेयर, खसरा नंबर 376 रकबा 3.5936 हैक्टेयर भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा लुणसरा तहसील जायल में खेत खसरा नं.348 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 375 रकबा 1.5864 हैक्टेयर, खसरा नंबर 376 रकबा 3.5936 हैक्टेयर भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी संख्या 1 के कायम मुकामान 1/1 से 1/3 कमश घेवरराम, भूराराम, रेखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 376 रकबा 3.5936 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर पश्चिमी भाग में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 348 रकबा 2.0558 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल के कायम मुकामान 2/1 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 376 रकबा 3.5936 हैक्टेयर में से 1.9263 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकामान 3/1 देवेन्द्र राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 375 रकबा 1.5864 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 376 रकबा 3.5936 में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये नजरीनक्शानुसार रखी गयी है। जो कि देवेन्द्रराम पुत्र लालाराम 1/3, घेवरराम 1/9, भूराराम, 1/9, रेखाराम 1/3 पिता बालाराम एवं मांगीलाल पुत्र छगनाराम 1/3 नजरीनक्शानुसार सामलाती हक बंट में रखी गई है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/22

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner